

आदेश व इज्जतस प्रकारा राजपुरोहित आई.ए.एल. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय
प्रकरण संख्या : 80/2024 (दिनांक : 8 सितंबर 2024)
रिसायंस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-11वीं मंजिल, मार्बल रोड, आर-टेक
पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मोरेगांव (ई), मुंबई।

प्राथमी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी
पता :- 41, जाली की छापी प्रथम, दहमी खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. अनिता देवी पत्नी श्री सुनील
पता-घर नम्बर 10, दहमी खुर्द, जयपुर।
3. सुनील चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी
पता :- दहमी खुर्द, दहमी कला, जयपुर।
4. रामचन्द्र पुत्र श्री मोखरमल
पता :- जाली की छापी 1, दहमी खुर्द, जयपुर।
5. कैलाश चौधरी पुत्र श्री शैल राम चौधरी
पता :- बह्नी का खेड़ा, बगरु, जयपुर।

अप्रार्थीगण
श्री, सहश्री एवं भारत



The application under section 14 of the Securitization
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित- श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्राथमी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड
फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने अप्राथमी श्रणी को दिनांक 13.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत
प्रतिभूति के रूप में अप्राथमी सुनील चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र आट के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा
नम्बर 100, सकल संख्या 02, दहमी खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 168.
66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 8,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने दिनांक
09.03.2023 को जरिये एसाईनमेन्ट अप्राथमी का ऋण खाता प्राथमी वित्तीय संस्था रिसायंस एसेट
रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्राथमी श्रणी द्वारा प्राथमी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्राथमी
श्रणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के

2/30
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (प्रांतीय)

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 8,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 19,52,246/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुनील चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र जाट के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 100, सकल संख्या 02, दहमी खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने



हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जयपुर (शाहीग)